

राजस्थान सरकार  
कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, राजस्थान, जयपुर  
एफ-101, पंचशील मार्ग, बगड़िया भवन के पीछे, सी-स्कीम, जयपुर  
Email :- [seiraj@rajasthan.gov.in](mailto:seiraj@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : CESE/वविनि/2017/ 16976

दिनांक 5-6 OCT 2017

### कार्यालय आदेश

इस विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 15425-15435 दिनांक 08.09.2017 द्वारा समस्त चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंताओं को CEA Regulation 2010 के विनियम 43 एवं 32 के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर, लाईन एवं डी जी सेट व सौलर एनर्जी की स्वीकृतियों से सम्बन्धित आवेदन [SWCS.rajasthan.gov.in](http://SWCS.rajasthan.gov.in) या [SSO.rajasthan.gov.in](http://SSO.rajasthan.gov.in) के माध्यम से पूर्णतया ऑनलाईन स्वीकार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस क्रम में समस्त चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंताओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि CEA Regulation 2010 के विनियम 43 एवं 32 के अन्तर्गत आने वाले आवेदन का प्रमाणिकरण का कार्य पूर्व की भांति सम्पादित करेगे।

(जी एस जीनगर)  
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : CESE/वविनि/2017/

दिनांक .....

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
2. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) जयपुर/जोधपुर/अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
3. समस्त चार्टर्ड विद्युत सुरक्षा अभियंताओं को पालनार्थ प्रेषित है।

(जी एस जीनगर)  
वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक  
राजस्थान, जयपुर